न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
प्रार्थना पत्र सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/247

1. प्रहलाद दत्तक पुत्र मांगू, जाति मीना निवासी ग्राम चितौड़ा, तहसील फागी जिला जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. दाखा देवी पुत्री स्व. श्री मांगू, पत्नी श्री दुर्गालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम चितौड़ा, तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी बींची तहसील फागी जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)
   1/1. दामोदर पुत्र श्री दुर्गालाल,
   1/2. रामजीलाल पुत्र श्री दुर्गालाल,
   1/3. सीताराम पुत्र श्री दुर्गालाल,
   1/4. रतनलाल पुत्र श्री दुर्गालाल,
   1/5. मन्ना पुत्री श्री दुर्गालाल,
   1/6. संतरा पुत्री श्री दुर्गालाल,
   1/7. रजनी पुत्री श्री दुर्गालाल,
   1/8. राजा पुत्र श्री दुर्गालाल,
   1/9. रामप्यारी पुत्री श्री दुर्गालाल, समस्त जाति मीना निवासीयान झराना (मीनों की ढाणी, तहसील फागी जिला जयपुर)
2. मोहरी देवी पत्नी स्व. श्री मांगू, जाति मीना, निवासी ग्राम चितौड़ा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. मूली देवी पत्नी स्व. श्री मांगू, जाति अहीर निवासी भोज्यावाड, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
4. घासी पुत्र भौरीलाल, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम तितरिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. रामजीलाल पुत्र चौथमल, जाति मीना, निवासी ग्राम नांगल्या भटजी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. तहसीलदार, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

**उपस्थितिः—**

1. **श्री रतनसिंह, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से**

## निर्णय

दिनांकः 21.06.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 86/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00065) उनवान प्रहलाद बनाम दाखादेवी में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अपील संख्या 86/2016 उनवानी प्रहलाद बनाम दाखा देवी व अन्य प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 13.04.2022 को निर्णय पारित कर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिया गया है। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.04.2022 को प्राप्त कर अवलोकन करने पर एवं प्रार्थी/अपीलार्थी से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मूलीदेवी की मृत्यु निर्णय पारित किये जाने से लगभग 2 वर्ष पूर्व हो चुकी थी परन्तु उक्त अपील के निर्णय के अन्तर्गत मूलीदेवी की मृत्यु के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नही किया एवं रेस्पोडेन्ट मूलीदेवी की ओर से अधिवक्ता की उपस्थित दर्ज होना निर्णय के पेज संख्या 3 में उल्लेखित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नही दी गई। इस कारण न्यायालय श्रीमान् द्वारा मृत व्यक्ति कि विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.04.2022 पारित हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय दिनांक 13.04.2022 शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण निर्णय को रिकॉल किया जाना न्यायहित में नितान्त आवयक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.04.2022 को रिकॉल किया जाकर उक्त उनवानी अपील को पुनः नम्बर पर लेकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की मृत्यु निर्णय दिनांक 13.04.2022 से लगभग 2 वर्ष पूर्व होने का कथन किया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्य अपील के विचाराधीन रहते हुऐ कभी न्यायालय के समक्ष नही लाया गया एवं न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 13.04.2022 पारित किया गया है जिसे केवल प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिकॉल किया जाना न्यायोचित नही है जबकि अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध अपर न्यायालयों में अपील प्रस्तुत करने के कानूनी अधिकार प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।